

सं. जेड-28016/124/2015-एसएसएच
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पीएमएसएसवाई प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

वेबसाइट: www.mohfw.nic.in

एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश और एम्स रायपुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत पीबी-3 (15600-39100) + ग्रेड वेतन 6600/- रु. में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन। (कुल छः पद)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में छः नए एम्स की स्थापना की गई है।

- II. उपर्युक्त छः एम्स में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पीबी-3 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में विभिन्न समूह 'क' प्रशासनिक पदों को भरने का प्रस्ताव है। ये पद पीएमएसएसवाई द्वारा प्रशासित होंगे और नई दिल्ली से संचालित होंगे। उपर्युक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
- III. आरंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष होगी, जिसे भारत सरकार के नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।
- IV. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- V. पात्रता: केंद्र सरकार के अधीन सेवारत अधिकारी:
(क) जो प्रशासन/स्थापना/वैधानिक/परियोजना प्रबंधन/अभियांत्रिकी/तकनीकी/वित्तीय कार्य का 03 वर्ष का अनुभव रखते हों;

और

(ख) (i) जो सदृश पद पर नियमित आधार पर हों;

अथवा


(ii) 5400 रु. ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो;

अथवा

(iii) 4800 रु. ग्रेड वेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।

पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि के 45 दिनों के भीतर होगी।

- VI. पद का वेतन बैंड:- 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु। इस पद पर समान स्तर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सामान्य भत्ते देय होंगे।
- VII. निर्धारित अर्हताएं/पात्रता न्यूनतम अपेक्षा है और केवल उन अर्हताओं के रखने से उम्मीदवार स्वतः साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। जीवन-वृत्त के आधार पर चयन समिति साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की एक लघु सूची तैयार करेगी। लघु सूचीकृत उम्मीदवारों को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले भौतिक स्क्रीनिंग/व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/भौतिक स्क्रीनिंग के समय आवेदन में दिए गए ब्यौरे के प्रमाण में सभी संगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- VIII. विस्तृत विज्ञापन और आवेदन प्रपत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट <http://pmssy-mohfw.nic.in> पर अपलोड किया गया है और आवेदन प्रपत्र वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने सहित विज्ञापन में किसी प्रकार के संशोधन की सूचना मंत्रालय की वेबसाइट <http://pmssy-mohfw.nic.in> पर दी जाएगी और उसे रोजगार समाचार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। सभी संगत प्रमाण-पत्रों के अभिप्रमाणित प्रति के साथ उचित रूप से भरे गए आवेदन को लिफाफे के ऊपर "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पीएमएसएसवाई प्रभाग में पीबी-3 (15600-39100) रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. के पद हेतु आवेदन" लिखकर श्री विनोद कुमार, अवर सचिव, (पीएमएसएसवाई) कमरा नं. 112-डी विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रेषित किया जाए। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि के 45 दिनों के भीतर होगी।


(विनोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

जीवन वृत्त प्रपत्र

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत एम्स भोपाल / पटना / ऋषिकेश में प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु आवेदक का नाम और विवरण।

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी सन् में)	
3. (i) सेवा में आने की तिथि	
(ii) केंद्र/राज्य सरकार नियमावली के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं संतोषजनक हैं (यदि किसी अर्हता को नियमावली में निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है तो उसके लिए प्राधिकार का उल्लेख करें)	
विज्ञापन/रिक्ति, परिपत्र में उल्लिखित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी को प्राप्त अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
(क) अर्हता	(क) अर्हता
(ख) अनुभव	(ख) अनुभव
वांछनीय	वांछनीय
(क) अर्हता	(क) अर्हता
(ख) अनुभव	(ख) अनुभव
5.1 नोट: इस कॉलम को परिपत्र जारी करने तथा रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित करने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथोलिखित अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताएं सूचित करने के लिए विस्तारित करने की आवश्यकता है।	
5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में वैकल्पिक/मुख्य विषयों तथा अतिरिक्त (सबसिडिरी) विषयों की सूचना दी जाए।	
6. कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों के आलोक में आप पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हताएं और कार्य अनुभव रखते हैं।	
6.1 नोट: आवेदित पद के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभागों को उम्मीदवार द्वारा उल्लिखित संगत अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव की पुष्टि करते हुए अपनी विशेष टिप्पणी/राय दी जाएगी।	

7. तिथि क्रम में रोजगार का ब्यौरा। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर सहित यथा-प्रमाणित पृथक शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था का नाम	नियमित आधार पर धारित पद	कब से	कब तक	* नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	कार्य की प्रकृति (विस्तृत) आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव का उल्लेख करें।

*महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी को प्राप्त निजी लाभ है, अतः उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख करें। जहां उम्मीदवार द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हैं, वहां वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी का ब्यौरा निम्नानुसार दिया जाए:

कार्यालय/संस्था का नाम	एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	कब से	कब तक

8. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थाई या अर्द्धस्थाई या स्थाई।			
9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर हो तो कृपया उल्लेख करें।			
क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) आवेदक के मूल कार्यालय/संगठन का नाम	घ) मूल संगठन में स्थाई क्षमता में धारित पद का नाम और वेतन
9.1 नोट: यदि अधिकारी पहले से प्रतिनियुक्ति पर हों, तो ऐसे अधिकारियों के आवेदन को मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए।			
9.2 नोट: ऊपर के कॉलम 9 (ग) और (घ) के तहत उन सभी मामलों में निश्चित रूप से सूचना दी जानी चाहिए जहां कोई व्यक्ति संवर्ग/संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित कर रहा हो, किंतु मूल संवर्ग/संगठन में लियन रखता हो।			
10. आवेदक पहले कभी किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो अंतिम प्रतिनियुक्ति से लौटने के तारीख तथा अन्य ब्यौरे			

<p>11. वर्तमान नियोजन के संबंध में अन्य ब्यौरे: कृपया बताएं कि किसके अधीन कार्यरत हैं (संगत कालम में नियोजक का नाम दर्शाएं)</p> <p>क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ङ) विश्वविद्यालय च) अन्य</p>								
<p>12. कृपया बताएं कि आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और फीडर ग्रेड अथवा फीडर ग्रेड के फीडर हैं।</p>								
<p>13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तारीख बताएं जब संशोधन हुआ और संशोधन पूर्व वेतनमान दर्शाएं</p>								
<p>14. कुल आहरित प्रतिमाह परिलब्धियाँ</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">वेतन बैंड में मूल वेतन</th> <th style="width:33%;">ग्रेड पे</th> <th style="width:33%;">कुल परिलब्धियाँ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड पे	कुल परिलब्धियाँ			
वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड पे	कुल परिलब्धियाँ						
<p>15. यदि आवेदक ऐसे संगठन में है जो केंद्र सरकार के वेतनमान नहीं अपनाते हैं, निम्नलिखित विवरण दर्शाते हुए संगठन की नवीनतम वेतन पर्ची संलग्न की जाए।</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">वेतनमान सहित मूल वेतन और वेतन वृद्धि दर</th> <th style="width:33%;">महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते इत्यादि (अलग-अलग ब्यौरे) दें।</th> <th style="width:33%;">कुल परिलब्धियाँ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			वेतनमान सहित मूल वेतन और वेतन वृद्धि दर	महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते इत्यादि (अलग-अलग ब्यौरे) दें।	कुल परिलब्धियाँ			
वेतनमान सहित मूल वेतन और वेतन वृद्धि दर	महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते इत्यादि (अलग-अलग ब्यौरे) दें।	कुल परिलब्धियाँ						
<p>16.क आवेदित पद की उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो। (इसमें अन्य जानकारी के अलावा (i) अतिरिक्त अकादमिक योग्यता (ii) पेशेवर प्रशिक्षण और (iii) रिक्रि के परिपत्र/विज्ञापन में मांगे गए कार्य अनुभव के अलावा अतिरिक्त कार्यानुभव) दिया जाए।) (नोट: यदि पर्याप्त स्थान न हो तो अलग से शीट लगाएं)</p>								
<p>16.ख उपलब्धियाँ: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निम्न के संबंध में सूचना दें:</p> <p>(i) अनुसंधान प्रकाशनों और रिपोर्टों तथा विशेष प्रोजेक्ट (ii) अवार्ड, छात्रवृत्ति/कार्यालयी सराहना (iii) पेशेवर निकायों/संस्थानों/ सोसाइटियों से संबद्धता और; (iv) अपने नाम से पंजीकृत पेटेंट या संगठन के लिए अर्जित किए गए (v) कोई अनुसंधान/नवाचार उपाय जिसके लिए कार्यालयी</p>								

मान्यता मिली हो (vi) अन्य कोई सूचना (नोट: यदि पर्याप्त स्थान न हो तो अलग से शीट लगाएं)	
17. कृपया बताएं कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुनर्नियोजन आधार पर आवेदन कर रहे हैं # (केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी ही "आमेलन" के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल लघु संविदा के ही पात्र हैं।)	
# ('एसटीसी'/ 'आमेलन' / 'पुनर्नियोजन' का विकल्प तभी है जब रिक्ति के भर्ती परिपत्र में विशेष तौर पर इनका उल्लेख हो)	
18. क्या अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबद्ध हैं	

मैंने ध्यानपूर्वक रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन पढ़ लिया है और मुझे ज्ञात है कि शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव पत्र में दी गई सूचना अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित प्रलेखों द्वारा समर्थित है और पद के चयन के समय चयन समिति भी इसका मूल्यांकन करेगी। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/ ब्यौरे मेरे विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं और मेरे चयन से संबंधित कोई भी अभिज्ञात तथ्य छिपाए/दबाए नहीं गए हैं।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पता.....

.....

तारीख.....

नियोजक /संवर्ग नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणन

उपर्युक्त आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरे रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सही व सत्य हैं। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हैं। उनका चयन होने पर उन्हें शीघ्र कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है:

- i) श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासन प्रकरण लंबित/अपेक्षित नहीं है।
- ii) उनकी सत्य निष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- iii) उनका गोपनीय रिपोर्ट डोजियर मूल रूप से संलग्न है/पिछले वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट अवर सचिव, भारत सरकार अथवा उच्च अधिकारी द्वारा अधि प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न हैं।
- iv) पिछले वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध कोई बड़ी/लघु शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/लघु शास्तियों की सूची संलग्न है (जैसी भी स्थिति हो)

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोजक/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी मोहर सहित)